अपने ग्राहक को जानें

वित्तीय साक्षरता सप्ताह
5–9 जून 2017

बैंक खाता खोलने और उसे चालू रखने के लिए केवाईसी (अपने ग्राहक को जाने) जरूरी लेकिन आसान प्रक्रिया है।

KYC

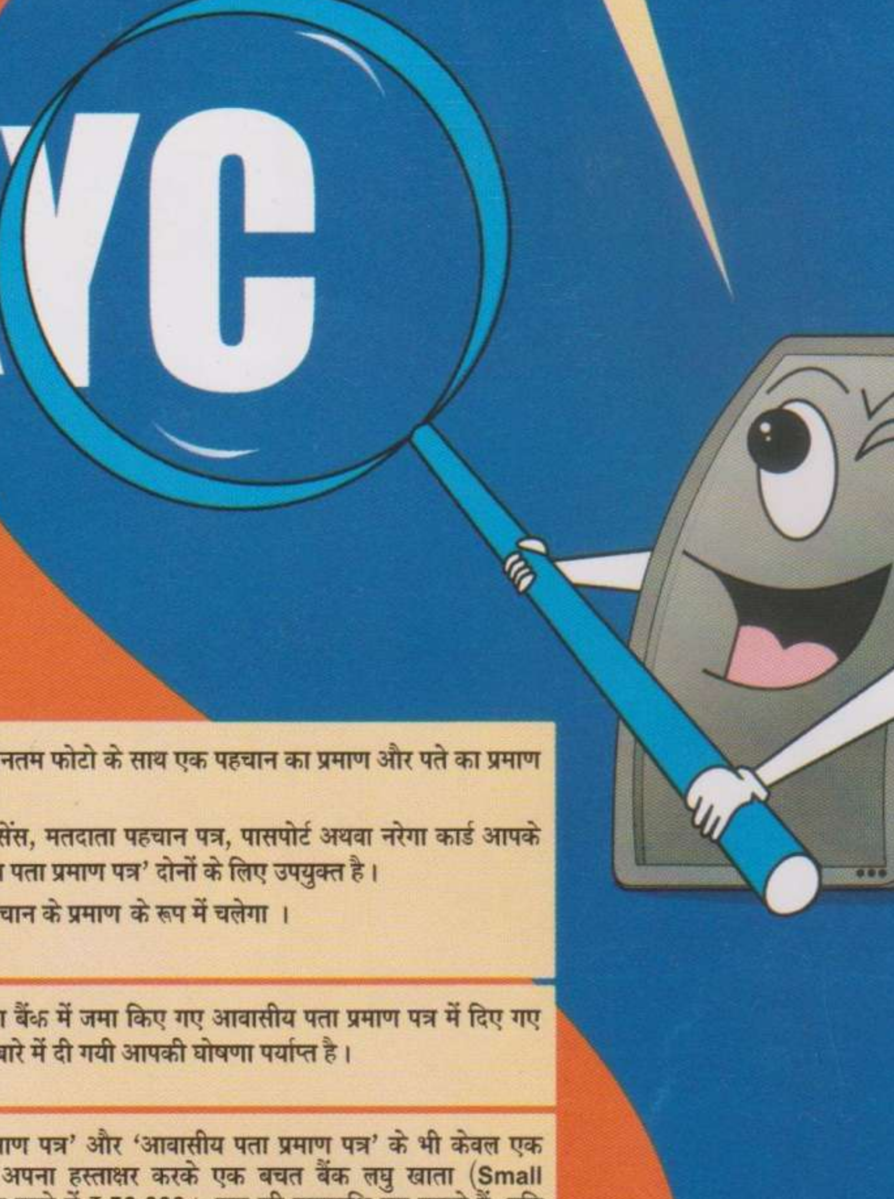

- बैंक खाता खोलने के लिए आपके नवीनतम फोटो के साथ एक पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण पर्याप्त है ।
  - आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट अथवा नरेगा कार्ड आपके 'परिचय प्रमाण पत्र' और 'आवासीय पता प्रमाण पत्र' दोनों के लिए उपयुक्त है।
  - पैन (PAN) कार्ड केवल आपके पहचान के प्रमाण के रूप में चलेगा ।
- यदि आपका वर्तमान पता आपके द्वारा बैंक में जमा किए गए आवासीय पता प्रमाण पत्र में दिए गए पते से भिन्न है तो आपके नये पते के बारे में दी गयी आपकी घोषणा पर्याप्त है।
- यहाँ तक कि आप बिना 'परिचय प्रमाण पत्र' और 'आवासीय पता प्रमाण पत्र' के भी केवल एक नवीनतम फोटोग्राफ जमा कर और अपना हस्ताक्षर करके एक बचत बैंक लघु खाता (Small account) खोल सकते हैं। आप इस खाते में ₹ 50,000/- तक की जमाराशि रख सकते हैं, प्रति माह ₹ 10000/- तक अपने खाते से निकाल सकते हैं तथा प्रति वित्त वर्ष ₹ 1 लाख तक जमा कर सकते हैं।
- बैंकों को केवाईसी विवरण की पुनः पुष्टि केवल प्रत्येक 2, 8 अथवा 10वें वर्ष पर करवानी होती है जो आपकी जोखिम पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है।
- केवाईसी प्रक्रिया के संबंध में यदि कोई शिकायत हो तो उसके लिए कृपया अपने बैंक में शिकायत दर्ज करें। यदि बैंक के जवाब से आप संतुष्ट न हों तो भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट https://bankingombudsman.rbi.org.in देखें।

अधिक जानकारी के लिए
कृपया वेबसाइट
www.rbi.org.in/KYCFAQ देखें

वित्तीय साक्षरता – विकास का रास्ता

केवाईसी

वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
www.rbi.org.in

वित्तीय साक्षरता सप्ताह
5-9 जून 2017

क्या आपके पास स्मार्टफोन अथवा इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है?

***99# का उपयोग कर डिजिटल माध्यम से जुड़ें**

यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जिससे बिना इंटरनेट कनेक्शन वाले फीचरफोन/स्मार्टफोन के द्वारा यूएसएसडी कोड (***99#**) डायल करके दो बैंक खातों के बीच धन का लेन-देन किया जा सकता है।

*99#

आप इसका उपयोग कर सकते हैं यदि.....

- आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ हो।
- आपके पास एक कार्यरत एटीएम/डेबिट कार्ड हो।

एक बार की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

1. ***99#** डायल करें और भाषा चुनें।
2. अपने बैंक खाते के आईएफएस कोड के पहले चार अंक को टाइप करे।
3. बैंक खाते का चयन करें।
4. आपका वर्चुअल पेमेंट ऐड्रेस (वीपीए) अथवा यूपीआई आईडी होगा – आपका मोबाइल नंबर@यूपीआई
5. *99*7*1# डायल करके यूपीआई पिन बनाएँ जिसमे निम्नांकित संकेतों का प्रयोग करें।
   - एटीएम कार्ड के अंतिम 6 अंक
   - एटीएम कार्ड की वैध अवधि की समाप्ति का माह और वर्ष

- अपने यूपीआई पिन के प्रयोग द्वारा आप किसी भी लाभार्थी के साथ केवल उसके वर्चुअल ऐड्रेस के आधार पर निर्बाध रूप से धन का लेन-देन कर सकते हैं।
- यदि लाभार्थी के पास कोई वर्चुअल ऐड्रेस नहीं है, तो आईएफएससी और खाता संख्या या आधार संख्या से जुड़ा बैंक खाता अथवा मोबाइल नंबर से धन के लेन-देन की सुविधा भी उपलब्ध है।
- यूपीआई और ***99#** पर रजिस्टर्ड लाभार्थी को ***99#** द्वारा धन का ट्रांसफर किया जा सकता है।

त्वरित एवं तत्काल ट्रांसफर की चौबीस घंटे (**24X7**) सुविधा

वित्तीय साक्षरता – विकास का रास्ता

*99#

वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
www.rbi.org.in

क्या आपके पास इंटरनेट की सुविधा युक्त स्मार्टफोन उपलब्ध है?
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) प्लेटफार्म पर जाकर डिजिटल माध्यम का प्रयोग करें।

यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें इंटरनेट की सुविधा वाले मोबाइल का उपयोग कर दो बैंक खातों के बीच धन का लेन-देन किया जा सकता है।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 5-9 जून 2017

आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यदि.....

- आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ हो।
- आपके पास एक कार्यरत एटीएम/डेबिट कार्ड हो।

आप भीम (BHIM) ऐप, अन्य बैंकों के ऐप अथवा किसी तीसरी पार्टी के ऐप के द्वारा यूपीआई (UPI) का प्रयोग कर, लेन-देन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भीम ऐप में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

एक बार की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

1. BHIM ऐप डाउनलोड करें।
2. ऐप खोलें, एक एसएमएस आपकी डिवाइस को रजिस्टर करने के लिए भेजा जाएगा।
3. अपना लॉगिन पासवर्ड बनाएँ और लॉगिन करने के बाद बैंक खाते का चयन करें।
4. आपका वर्चुअल पेमेंट ऐड्रेस (वीपीए) अथवा यूपीआई आईडी होगा - आपका मोबाइल नंबर @ यूपीआई
5. यूपीआई पिन बनाने के लिए निम्नांकित संकेतों का प्रयोग करें
   - एटीएम कार्ड के अंतिम 6 अंक
   - एटीएम कार्ड की वैध अवधि की समाप्ति का माह और वर्ष
   - आपके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड)

- अपने यूपीआई पिन के प्रयोग द्वारा आप किसी भी लाभार्थी के साथ केवल उसके वर्चुअल ऐड्रेस के आधार पर निर्बाध रूप से धन का लेन-देन कर सकते हैं।
- यदि लाभार्थी के पास कोई वर्चुअल ऐड्रेस नहीं है, तो आईएफएससी और खाता संख्या के द्वारा भी धन के लेन-देन की सुविधा उपलब्ध है।

त्वरित एवं तत्काल ट्रांसफर की चौबीस घंटे (24 X 7) सुविधा

वित्तीय साक्षरता - विकास का रास्ता

UPI

वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
www.rbi.org.in

ऋण अनुशासन का पालन करें

वित्तीय साक्षरता सप्ताह
5-9 जून 2017

बुद्धिमानी से उधार लें

ऋण चुकाने की अपनी क्षमता के अनुसार बुद्धिमानी से ऐसी परिसंपत्ति में निवेश करने के लिए उधार लें जिससे आमदनी हो और जिसका मूल्य बढ़ सके। अच्छे उधार के उदाहरण निम्नवत हैं:

- घर खरीदने के लिए बंधक ऋण
- बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विद्यालक्ष्मी पोर्टल देखें। (https://www.vidyalakshmi.co.in)
- अपने कारोबारी सपनों को पूरा करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण। इसके लिए उद्यमी मित्र पोर्टल देखें। (https://www.udyamimitra.in)

उधार लेने के बाद

- किस्त चुकाने में चूक न करें।
- ऋण चुकाने में विलंब करने से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री/ क्रेडिट स्कोर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- किस्त चुकाने में विलंब होने की स्थिति में हमेशा अपने बैंकर को इसकी जानकारी दें।
- अपने ऋण को समय पर चुकाएं क्योंकि इससे अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है।

क्रेडिट स्कोर

आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तथा अन्य संबंधित कारकों के आधार पर आपको क्रेडिट स्कोर मिलता है। यह स्कोर जितना अधिक होगा आपकी ऋण पात्रता उतनी अच्छी होगी और ऋण मिलने की संभावना बेहतर होगी।

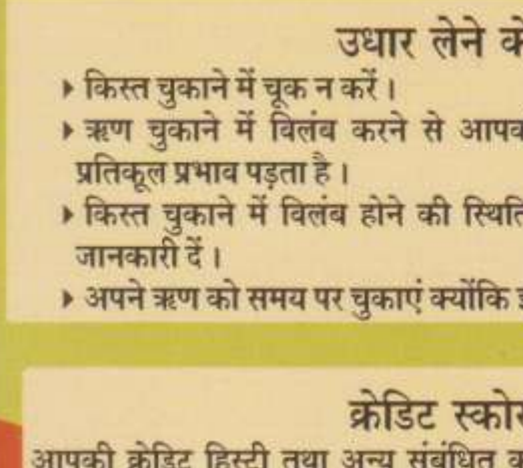

निःशुल्क क्रेडिट रिपोर्ट

जिनका क्रेडिट इतिहास है वे निम्नलिखित चार क्रेडिट सूचना कंपनियों में से किसी एक से वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर) निःशुल्क रूप से क्रेडिट स्कोर सहित संपूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त कर सकते है।

1. Trans Union Credit Information Bureau (India) Limited
2. Equifax Credit Information Services Private Limited
3. Experian Credit Information Company of India Private Limited
4. CRIF High Mark Credit Information Services Private Limited

वित्तीय साक्षरता - विकास का रास्ता

ऋण अनुशासन का पालन

वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
www.rbi.org.in

अपनी शिकायत बैंक में या बैंकिंग लोकपाल के पास कैसे दर्ज करें ?

वित्तीय साक्षरता सप्ताह
5-9 जून 2017

एक ग्राहक के रूप में जब आप अपनी दैनिक बैंकिंग सेवाओं, जैसे कि एटीएम मशीन से नकदी न निकलने के कारण असफल एटीएम निकासी लेनदेन, बिना पूर्व सूचना के शुल्क लगाया जाना, क्रेडिट कार्ड से जुड़े मामले, आदि परेशानियों का सामना करते हैं तो ऐसे मामलों के निपटान के लिए बैंक के अधिकारियों से संपर्क करें। यदि मामले का निपटान नहीं किया जाता है तो अपनी शिकायत के निवारण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं।

1. अपनी बैंक शाखा के शिकायत रजिस्टर में अपनी शिकायत लिखें। यदि आसपास रजिस्टर उपलब्ध न हो तो इसकी मांग करें या अपनी शिकायत बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करें।

2. यदि शाखा में शिकायत निवारण के लिए अधिकारियों के नाम प्रदर्शित नहीं किए गए हो तो ऐसे अधिकारियों के नाम पूछें। बैंकों में शिकायत निवारण के लिए नोडल अधिकारी होते हैं।

3. यदि आपका बैंक एक महीने के भीतर आपकी शिकायत का निपटान नहीं करता है तो आप भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें। भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल योजना आपकी शिकायतों का तेजी से और निःशुल्क निपटान करता है। बैंकिंग लोकपाल योजना में बैंकिंग सेवाओं की कई कमियों को शामिल किया गया है।

4. अपनी शिकायत केवल सादे कागज पर लिख कर भेजें या ई-मेल द्वारा भेजें। https://bankingombudsman.rbi.org.in पर लॉग इन कर तथा "Addresses of Banking Ombudsmen" पर क्लिक करके बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों के पते और ई-मेल आईडी प्राप्त किए जा सकते हैं।

5. ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए https://bankingombudsman.rbi.org.in वेबसाइट पर जाकर, "Complaint Form" पर क्लिक करें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट https://bankingombudsman.rbi.org.in देखें

वित्तीय साक्षरता – विकास का रास्ता

बैंकिंग लोकपाल

वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
www.rbi.org.in

प्रधान मंत्री जन-धन योजना
प्रत्येक परिवार के लिए बैंक खाता

15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समाज के कमजोर वर्ग (जिसमें महिलाएं, छोटे तथा मध्यम किसान एवं मजदूर सम्मिलित हैं) के उत्थान के लिये बैंक खाता खोलने की जन-धन योजना की घोषणा की है ।

इस योजना का लक्ष्य व्यापक रूप से बैंकिंग सुविधाओं को सभी परिवारों तक पहुँचाना हैं जिससे प्रत्येक परिवार के दो बैंक खाते खुलेंगे जिसमें एक पुरूष तथा दूसरा महिला का होगा ।

विशेष सुविधायें

* ब्याज के साथ धन की सुरक्षा।
* डेबिट कार्ड द्वारा किसी भी ए.टी.एम. से धन की निकासी
* एक लाख रूपये का दुर्घटना बीमा।
* न्यूनतम धन राशि की आवश्यकता नहीं।

अतिरिक्त सुविधायें

* भारत वर्ष में धन प्रेषण की आसान सुविधा।
* सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे ट्रान्सफर सुविधा।
* खाते के 6 महीने तक संतोष जनक परिचालन के पश्चात 5000/- रू. की ओवर ड्राफ्ट सुविधा।
* पेंशन, बीमा इत्यादि।

बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज :

- अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड/आधार नम्बर है तो इसे किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वयं द्वारा प्रमाणीकरण जरूरी है।
- अगर आधार कार्ड या आधार नम्बर नहीं है तो निम्न में से कोई भी दस्तावेज अपनी पहचान के रूप में देना होगा।

- वोटर पहचान पत्र • राशन कार्ड • ड्राइविंग लाइसेंस
- मान्यता प्राप्त सरकार प्राधिकरण, सरकारी अधिकारी या सरपंच द्वारा जारी पत्र।

अन्यथा निम्नलिखित में से कोई (पहचान के लिए) :

- किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र । • नरेगा द्वारा जारी नौकरी का कार्ड

पते के लिए : • बिजली या टेलीफोन का बिल • जन्म या शादी का प्रमाण पत्र ।

द्वारा संचालित
मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक लि०.,
मुख्यालयः कचहरी रोड, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद
Since 1906
M.D.C.B.
......सचमुच आपका !
दूरभाष : 0591-2412306 ई-मेल : dcbmbd@rediffmail.com

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं सुरक्षा बीमा योजना
का लाभ प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 12 रुपये में 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा

- समस्त बचत बैंक खाताधारकों के लिए जिनकी आयु– 18 से 70 वर्ष है
- विकलांगता की स्थिति में बीमा राशि आपको प्रदान की जाएगी

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 330 रुपये में 2 लाख रुपये का जीवन बीमा

- समस्त बचत बैंक खाताधारकों के लिए जिनकी आयु– 18 से 50 वर्ष है
- आपके वाद, आपके परिवार को मिलेगी बीमा राशि

बीमा अवधि, वार्षिक: 1 जून – 31 मई

- प्रीमियम की राशि खाताधारक के बचत खाते से बैंक द्वारा 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से.
- **कोई भी व्यक्ति केवल एक बचत खाता द्वारा ही इस योजना के लिए पात्र होगा**